स्पीड पोस्ट द्वारा

DGT-TCD031(12)/5/2020-O/o DIR (TC)

भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

कमरा नं.-105, प्रथम तल, सरटस विल्डिंग,
आईएआरआई कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली-110012,
दिनांक- 10.02.2021

सेवा में,

श्रीमान प्रधानाचार्य जी,
श्री बालाजी प्राइवेट आईटीआई,
कैराना शामली, जिला- शामली,
उत्तर प्रदेश - 247774

विषय: आईटीआई के ट्रेडों/ यूनिट्स की डी- एफिलियेशन की अनुशंसा के बारे में जारी कारण बताओ नोटिस ।

महोदय,

इस निदेशालय को दिनांक 08.02.2021 को श्री अशोक कुमार शर्मा, स्टेट पेपर मिल रोड, हिम्मत नगर, जिला सहारनपुर, उ० प्र० के द्वारा एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है। जिसमे बताया गया है कि श्री बालाजी प्राइवेट आईटीआई, (MIS Code PR09001631) में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी हैं (प्रति सलंग्न है)।

इसलिए, आपको यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया जाता है कि आपके संस्थान को डी- एफिलियेशन करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

- आपका उत्तर 15 दिनों के भीतर यानी 26.02.2021 तक सकारात्मक रूप से इस कार्यालय तक पहुंच जाना चाहिए
- शो कॉज नोटिस का जवाब chauhan.bs68@gov.in पर भेजे|

भवदीय

सुनील गुप्ता

(सुनील कुमार गुप्ता)
निदेशक, प्रशिक्षण

संलग्न- उपरोक्त अनुसार

नोट: यह नोटिस आपको प्रदत्त किसी भी अन्य पिछले नोटिस को रद्द नहीं करता है ।

प्रति:-

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवम सेवायोजन गुरु गोबिंद सिंह मार्ग, लखनऊ - 226004, उत्तर प्रदेश ।
2. श्री अशोक कुमार शर्मा, स्टेट पेपर मिल रोड, हिम्मत नगर, जिला सहारनपुर, उ० प्र० ।
3. टीसी- सेक्शन, डीजीटी मुख्यालय, नई दिल्ली, क्रमशः इस आदेश को एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल पर अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है ।

रवि 10/2/2021

(रवि चिलुकोटी)
संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण

सेवा में,

माननीय निदेशक, प्रशिक्षण महानिदेशालय,
कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

विषय :— पानीपत (हरियाणा)—खटीमा (उत्तराखण्ड) राजमार्ग—507एडी के फोरलेन बनने की जद में श्री बालाजी आई0टी0आई0, कैराना (जनपद—शामली) उत्तर प्रदेश के आने के बावजूद भी उक्त प्राइवेट आई0टी0आई0 द्वारा अवैध/नियमविरूद्ध संचालित किये जाने के फलस्वरूप प्रशिक्षणरत युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किये जाने के सम्बन्ध ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन यह है कि *श्रीबाला जी आई0टी0आई0, कैराना (जनपद—शामली) उत्तर प्रदेश (SCVT Code : 1541, NCVT Code : RR09001631) के भवन का लगभग 70प्रतिशत हिस्सा पानीपत—खटीमा राजमार्ग—507एडी के फोरलेन बनने की जद में आने के फलस्वरूप ध्वस्त हो चुका है। उक्त प्राइवेट आई0टी0आई0 संचालकों को ध्वस्त भवन व भूमि के लगभग 87 लाख रूपयों के मुआवजे का भुगतान भी 07 माह पूर्व हो चुका है।* परन्तु मुआवजे की मिली मोटी धनराशि प्राप्त होने के बावजूद भी संस्थान संचालक उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागीय अधिकारियों के संरक्षण में अवशेष 30 प्रतिशत भूमि पर ही नियमविरूद्ध/अवैध रूप से आई0टी0आई0 संचालित कर रहे है तथा सत्र 2020 में भी प्रवेश कर प्रशिक्षणार्थियों के भविष्य से खिलवाड कर रहे है। चूंकि विभागीय अधिकारियों को केवल अपनी रिश्वत से ही मतलब होता है, फिर चाहे कुछ भी होता रहें, उक्त *श्रीबाला जी आई0टी0आई0, कैराना जिला शामली उत्तर प्रदेश ने फोरलेन से अवशेष बची कुल लगभग 30प्रतिशत भूमि में पिछले 6 माह से दो मंजिलों का निर्माण कार्य करते हुए आई0टी0आई0 संचालित की जा रही है, जोकि नियमों के पूर्णतः विपरीत है। उक्त संस्थान के स्वामी को भूमि व भवन का प्राप्त 87लाख का मुआवजा सरकारी अभिलेखों में दर्ज होने के बावजूद भी तथा विभागीय अधिकारियों को पूर्व में अनेक बार लिखित व मौखिक शिकायत करने के उपरान्त भी कोई कार्य न होने से इस आई0टी0आई0 के संचालक द्वारा निरन्तर प्रशिक्षणरत युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ की जा रही है।*

अतः आपसे प्रार्थना है कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जॉच कराकर नियमानुसार कार्यवाही करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

धन्यवाद !

प्रार्थी

Ashok

दिनांक : 14.01.2021

(अशोक कुमार शर्मा)
स्टार पेपर मिल रोड़, हिम्मत नगर,
सहारनपुर जिला सहारनपुर, (उ0प्र0)